

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

सत्र 2016-17 में आयोज्य 34 वीं सब जूनियर (15 वर्ष छात्र) नेहरू हॉकी प्रतियोगिता का पंचांग आवश्यक निर्देशों सहित अनुपालनार्थ प्रसारित किया जाता है। समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक) को निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ विद्यालयों में पंचांग एवं निर्देशों को अविलम्ब प्रसारित करें।

34 वीं सब जूनियर (15 वर्ष छात्र) नेहरू हॉकी प्रतियोगिता निम्नांकित तिथियों में आयोजित की जावें :-

जिला स्तर पर :- 22-08-2016 से 23-08-2016 तक

राज्य स्तर पर :- 27-08-2016 से 29-08-2016 तक

राज्य स्तर पर नेहरू हॉकी (15 वर्ष छात्र) प्रतियोगिता आयोजन स्थल :-

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रींगस (सीकर)

आवश्यक दिशा-निर्देश

1. जिला स्तर पर विजेता टीम ही राज्य स्तरीय (15 वर्ष छात्र) नेहरू हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेगी तथा जिला स्तर पर विजेता टीम के जिन खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता सत्र भाग लिया है वे ही खिलाड़ी उसी सत्र की राज्य स्तरीय (15 वर्ष छात्र) नेहरू हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेंगे। उस प्रतियोगिता सत्र में खिलाड़ियों का परिवर्तन नहीं किया जावे।
2. सत्र 2016-17 की 34 वीं सब जूनियर (15 वर्ष छात्र) नेहरू हॉकी प्रतियोगिता हेतु छात्र की जन्म तिथि 01.11.2016 को 15 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए अर्थात् 01.11.2001 या उससे पश्चात जन्म लेने वाले खिलाड़ी नेहरू हॉकी प्रतियोगिता (15 वर्ष छात्र) में भाग ले सकेंगे। साथ ही अन्तिम रूप से चिकित्सकीय प्रमाण पत्र जिसमें कि छात्र की आयु 15 वर्ष या उससे कम का प्रमाण पत्र हो आवश्यक रूप से संलग्न करें, इसके अभाव में छात्र प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकेगा। जन्मतिथि में विवाद के क्रम में सम्बन्धित संस्था प्रधान जिम्मेदार होंगे। अतः विद्यालय अभिलेख से मिलान कर जन्म तिथि अंको व शब्दों में योग्यता प्रमाण-पत्र में दर्ज की जाए। इस प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु खिलाड़ी की पात्रता प्रवेश तिथि सभी कक्षाओं के लिए वास्तविक प्रवेश तिथि मान्य होगी।
3. राज्य स्तरीय नेहरू हॉकी प्रतियोगिता (15 वर्ष छात्र) में भाग लेने हेतु जिला स्तरीय नेहरू हॉकी (15 वर्ष छात्र) प्रतियोगिता में कम से कम 4 टीमों का भाग लेना अनिवार्य होगा। इस न्यूनतम निर्धारित संख्या में टीमों जिला स्तर पर भाग नहीं लेती है तो ऐसी स्थिति में प्रतियोगिता सम्पन्न करवाकर संभागियों को प्रमाण-पत्र वितरित कर दिए जाए, परन्तु टीम उस प्रतियोगिता सत्र में नेहरू हॉकी प्रतियोगिता (15 वर्ष छात्र) राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकेंगी। उक्त सूचना जिला स्तरीय प्रतियोगिता प्रारम्भ होने के समय खिलाड़ियों को आवश्यक रूप से दी जाए।
4. सब जूनियर (15 वर्ष छात्र) नेहरू हॉकी जिला स्तरीय प्रतियोगिता में टीमों की संख्या 4 या 4 से कम होने पर लीग प्रणाली से एवं टीमों की संख्या 5 या 5 से अधिक होने पर नॉक-आउट प्रणाली से की जाए।
5. जिला स्तर पर लीग प्रणाली में टाई पड़ने पर परिणाम हेतु निम्नानुसार टाई तोड़ी जाए:-
 1. लीग प्रणाली से खेले जाने वाले सभी खेलों के मैचों में विजेता दल को दो अंक व पराजित दल को शून्य अंक एवं बराबर रहने वाले दलों को एक-एक अंक दिया जाएगा।

2. जिला स्तर पर आवश्यकतानुसार मैच जब लीग प्रणाली से खिलाए और दल बराबर रह जाते हैं तो प्राप्त गोल औसत को आधार मान कर टाई तोड़ी जाए। गोल का तात्पर्य है जिस दल के पक्ष में जितने गोल हुए हैं उनमें से उसी दल के विपक्ष में हुए गोल का औसत निकाल कर टाई तोड़ी जाए। यदि इस पद्धति से निर्णय की स्थिति ना बन पाए तो जिस दल के पक्ष में अधिक संख्या में गोल रहें हो उसे ही विजेता घोषित कर दिया जाए।
6. राज्य स्तरीय (15 वर्ष छात्र) नेहरू हॉकी प्रतियोगिता नॉक आउट प्रणाली से आयोजित की जावेगी। नॉक आउट प्रणाली में टाई पड़ने पर विभागीय हॉकी प्रतियोगिता के अनुरूप ही टाई ब्रेकर नियम लागू किया जाएगा।
7. राज्य स्तरीय (15 वर्ष छात्र) नेहरू हॉकी प्रतियोगिता में दल हारते ही आयोजक हारे हुए दल को कार्यमुक्त कर दें। सेमीफाइनल में हारने वाली टीमों के मध्य तीसरे एवं चौथे स्थान के लिए मैच करवाए जाए तथा 4 स्थानों के परिणाम निकाले जाए।
8. जिला स्तरीय (15 वर्ष छात्र) नेहरू हॉकी प्रतियोगिता हेतु आयोजन स्थल का निर्धारण जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), नॉडल अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
9. शिक्षा विभागीय अन्य विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता में जिले के दल राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेते हैं जिसकी व्यवस्था संबन्धित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाती है। उसी व्यवस्था/प्रक्रिया अनुसार ही जिले के दल को नेहरू हॉकी प्रतियोगिता (15 वर्ष छात्र) प्रतियोगिता के लिए भेजा जाए। खिलाड़ियों का दैनिक भत्ता, अनुसांगिक प्रभार, यात्रा व्यय (रियायती दर) आदि समस्त व्यय अन्य विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं की भांति नियमानुसार छात्र कोष से वहन किए जायेंगे। अलग से कोई बजट आवंटित नहीं किया जाएगा।
10. जिला स्तरीय (15 वर्ष छात्र) नेहरू हॉकी प्रतियोगिता आयोजन पर होने व्यय अन्य विभागीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं की भांति जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) के पास उपलब्ध खेलकूद की अनारक्षित राशि 60 प्रतिशत राशि में से नियमानुसार कर सकेंगे।
11. शिक्षा विभाग के विशेष विद्यालय जैसे सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर एवं सत्र पर्यन्त प्रशिक्षण केन्द्र विद्यालय में प्रवेश लिये खिलाड़ी दल यदि एक ही विद्यालय से पूर्ण बनता है तो सीधे ही राज्य स्तरीय (15 वर्ष छात्र) नेहरू हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेंगे।
12. जिला स्तर पर विजेता विद्यालय की सूचना व भाग लेने वाले खिलाड़ियों की सूची परिणाम प्राप्त होते ही विजेता विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक के माध्यम से राज्य स्तरीय नेहरू हॉकी प्रतियोगिता आयोजक संस्था प्रधान को समय पर भिजवाते हुए राज्य स्तर पर भाग लेने की सूचना भी भिजवाए।
13. जिला स्तर पर विजेता टीम मय आवश्यक अभिलेखों के दिनांक 26.08.2016 की प्रातः 10:00 बजे तक राज्य स्तरीय (15 वर्ष छात्र) नेहरू हॉकी प्रतियोगिता आयोजक प्रधानाचार्य रा.उ.मा.वि, रींगस (सीकर) को अपनी उपस्थिति दें।
14. अन्य विभागीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं की भांति नेहरू हॉकी प्रतियोगिता का भी समस्त अभिलेख विद्यालय में तैयार किया जाए एवं सुरक्षित रखें।
15. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) अपने जिले का कार्यक्रम तैयार कर उक्त प्रतियोगितार्थ जिला स्तर पर उच्च प्राथमिक विद्यालयों की टीमों को शामिल करने हेतु आदेश की प्रति अपने जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) व ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को भी पर्याप्त समय पूर्व भिजवाए।

16. 33 वीं राज्य स्तरीय (15 वर्ष छात्र) नेहरू हॉकी प्रतियोगिता 2015-16 के प्रथम चार स्थान के परिणाम इस प्रकार है :- 1. सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर 2. अलवर 3. श्रीगंगानगर 4. हनुमानगढ़

17. सब जूनियर नेहरू हॉकी (15 वर्ष छात्र) प्रतियोगिता हेतु जिला एवं राज्य स्तर पर प्रत्येक दल में खिलाड़ियों की संख्या 16 होगी।


(बी.एल.स्वर्णकार)

आई.ए.एस.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान बीकानेर

दिनांक : 21/7/16

क्रमांक-:शिविरा/मा/खेलकूद-3/35102/2016-17/नेहरू हॉकी/6-8
प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
2. शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (पंचायत राज) राजस्थान, जयपुर ।
3. शासन सचिव खेलकूद एवं युवा कार्यक्रम विभाग , राजस्थान, जयपुर ।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा , राजस्थान , बीकानेर ।
5. निदेशक , संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
6. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय राजस्थान, जयपुर ।
7. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर ।
8. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग, जयपुर ।
9. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक) को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश का प्रसारण आप अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कार्यालयों/विद्यालयों को अविलम्ब करने का श्रम करें तथा की गयी कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावें ।
10. सिस्टम एनालिस्ट, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
11. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर ।
12. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा, महाविद्यालय, जोधपुर ।
13. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, धौलपुर ।
14. समस्त प्रधानाचार्य सत्र पर्यन्त प्रशिक्षण केन्द्र ।
15. सचिव/अध्यक्ष, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर ।
16. अनुभाग अधिकारी, शिविरा पत्रिका प्रकाशन अनुभाग, माध्यमिक शिक्षा, राज. बीकानेर को 7 प्रतियाँ प्रेषित हैं। कृपया खेलकूद पंचांग आगामी शिविरा पत्रिका में प्रकाशित कराने का श्रम करावें ।


उपनिदेशक (खेलकूद)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर